



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल



कक्षा 7 समाधान



CGBSE Book Solutions
(Hindi Medium)

aglasem.com

CG Board Class 7th Social Studies Solutions

Subject - नागरिक शास्त्र
Chapter - 06
Chapter Name - (सामान्य चेतना)

Page No.98, Block- 1, Chapter- 06

1. कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध क्यों है? गाँवों में कम उम्र में विवाह होने के क्या कारण हैं? शिक्षक से चर्चा करें।

उत्तर:- 18 वर्ष से कम लड़की तथा 21 वर्ष से कम लड़के का विवाह कानूनी जुर्म है। संविधान के अनुसार यह दंडनीय अपराध है, क्योंकि इस उम्र के पूर्व लड़के-लड़की परिपक्व नहीं होते हैं। उनका शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हुआ होता है, मानसिक रूप से वह विवाह के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, उसकी पढाई व शिक्षा भी बाधित होती है विवाह के बाद लड़कियां बहुत सी गंभीर बीमारियों की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं लड़को को घर की जरूरत के लिए मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है, बाल विवाह का मुख्य कारण किसी समाज या परिवार में शिक्षा का आभाव होना ही होता है। गाँवों में अभी पुराने विचार के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं जिनकी सोच के कारण यह होता है।

Page No.99, Block- 1, Chapter- 06

1. बाल-विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। शिक्षक से चर्चा करें।

उत्तर:- बाल-विवाह एक बहुत बड़ी बुराई है, जिसके कारण हजारों लाखों लड़के लड़कियों का जीवन बर्बाद होता है इसके लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा तथा समाज में उससे होने वाली हानियों को बताना होगा।

Page No.99, Block- 1, Chapter- 06

2. वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के विकास के लिए शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें।

उत्तर:- वर्तमान में सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना हर गांव में की गई है, उनके लिए बिना शुल्क की शिक्षा की व्यवस्था है स्कूलों की तरफ से ही उन्हें कॉपी किताब व ड्रेस भी दिए जा रहे हैं, इसी क्रम में उन्हें दोपहर के पौष्टिक भोजन का भी इंतजाम किया गया है।

Page No.100, Chapter- 06

अभ्यास के प्रश्न

1. रिक्त स्थान को भरिए-

1. विवाह के लिए लड़के को _____ और लड़की को _____ का होना अनिवार्य है।

उत्तर:- 21 वर्ष ,18 वर्ष

2. कम उम्र में विवाह करना कानूनन _____ है।

उत्तर:- अपराध

3. बाल विवाह से _____ बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है।

उत्तर:- अशिक्षा , गरीबी

4. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर सन् _____ को मानव अधिकारों की घोषणा की गई।

उत्तर:- 1948

Page No.100, Chapter- 06

2. कॉलम 1 व 2 का सही मिलान कीजिए

1. जीवन का अधिकार.	दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश।
2. स्वतंत्रता का अधिकार	पुलिस की हिरासत में मृत्यु।
3. समानता का अधिकार (स्थान पर)	बच्चों को स्कूल भेजना।
4. स्वास्थ्य का अधिकार देना	किसी व्यक्ति को राज्य से निकालना।
5. शिक्षा का अधिकार	बच्चों को पोलियो की खुराक न पिलाना।

उत्तर:-

1. जीवन का अधिकार.	बच्चों को पोलियो की खुराक न पिलाना।
2. स्वतंत्रता का अधिकार	पुलिस की हिरासत में मृत्यु।
3. समानता का अधिकार (स्थान पर)	दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश।
4. स्वास्थ्य का अधिकार देना	किसी व्यक्ति को राज्य से निकालना।
5. शिक्षा का अधिकार	बच्चों को स्कूल भेजना।

Page No.100, Chapter- 06

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. मानव अधिकार क्या है ?

उत्तर:- दुनिया के सभी लोगो को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त है, जिन्हे आज हम मानव अधिकार कहते हैं। यह अधिकार सभी के हित और सुख चैन के लिए होते हैं।

Page No.100, Chapter- 06

2. कोई 5 मानव अधिकार लिखिए।

उत्तर:-

- 1) आवास
- 2) शिक्षा
- 3) सुरक्षा
- 4) समानता
- 5) स्वतंत्रता

Page No.100, Chapter- 06

3. हमें दुनिया के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए ?

उत्तर:- पूरी दुनिया में मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो मस्तिष्क का स्वामी है, तथा दिमाग होते हुए भी हम एक दूसरे से भेदभाव करे ऊँच - नीच का व्यवहार करे यह गलत है। पूरा संसार एक परिवार है तथा परिवार में सभी बराबर है। सभी के अपने अधिकार हैं। रंग, वर्ण या धन के आधार पर व्यक्ति कुछ भी हो परन्तु है, तो मानव व जो व्यवहार हमें नहीं पसंद है, वह व्यवहार में दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए।

Page No.100, Chapter- 06

4. बाल अधिकार क्या-क्या है?

उत्तर:- शिक्षा का अधिकार बच्चों का प्रथम अधिकार है बच्चों को पढ़ने देना तथा उनसे काम न लेना मजदूरी न करना बचपन भी उनका अधिकार है, खेलना-कूदना उनका अधिकार है उनको अच्छा व पौष्टिक भोजन मिलना उनका अधिकार है। किसी भी बच्चे में किसी प्रकार का भेद करना नहीं चाहिए अमीर-गरीब, काले-गोरे सब बच्चे बराबर हैं। अर्थात् उचित पोषण उत्तम स्वास्थ्य -शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए उचित पारिवारिक वातावरण ही उनका मौलिक अधिकार है।

Page No.100, Chapter- 06

5. बाल विवाह किसे कहते हैं?

उत्तर:- कानूनन 18 वर्ष से कम लड़की तथा 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जिसे दंडनीय अपराध माना जाता है।

Page No.100, Chapter- 06

6. बाल विवाह के क्या-क्या दुष्परिणाम होते हैं?

उत्तर:- बाल विवाह से बच्चे की शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उन्हें कम उम्र में गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, वह मानसिक कुंठा व बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं।

Page No.100, Chapter- 06

7. लड़का और लड़की की शादी किस उम्र में करनी चाहिए ?

उत्तर:- लड़के और लड़की की शादी के लिए आदर्श उम्र है लड़का की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

Page No.100, Chapter- 06

8. बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार किया जाए इस पर एक परिवार के क्या-क्या कर्तव्य होनी चाहिए?

उत्तर:- परिवार में बालक हो या बालिका दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। परिवार द्वारा दोनों को शिक्षा के व्यवस्था खेलने के लिए समय देना तथा उचित लालन-पोषण तथा खान-पान का ध्यान परिवार द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए।

Page No.100, Chapter- 06

9. अपने मोहल्ले अथवा गाँवों में पता करें कि महिलाएं कौन-कौन-से कार्य कर रही हैं, जिसके कारण वे आत्मनिर्भर बनें?

उत्तर:- हमारे गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ कर बहुत से छोटे-छोटे काम कर रही हैं तथा बहुत सी पढ़ी-लिखी महिलाएं स्कूलों में पढ़ा रही हैं तथा अस्पतालों तथा दुकान तथा मॉलों में भी काम कर रही हैं।

Page No.100, Chapter- 06

10. आपका विवाह यदि कम उम्र में कर दिया जाय तो क्या होगा?

उत्तर:- हमारा विवाह यदि कम उम्र में करा दिया जाये तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। कैसे खेलेंगे कहां से पैसा कमाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात् हमारा भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और हम दिशाहीन हो जायेंगे।

Page No.100, Chapter- 06

4. योग्यता विस्तार-

1. अगर आपकी बहन कक्षा-9 में पढ़ती है उसकी उम्र 15 वर्ष है। अगर उसकी शादी तय हो जाए तो आप क्या करेंगे।

उत्तर:- यदि ऐसा होता तो हम घर में सभी से बात करेंगे कि यह गलत है। बहन छोटी है। उसे पढ़ने दिया जाये उसकी शारारिक व मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह शादी योग्य नहीं है। यदि इसके बाद भी बात नहीं समझते हैं तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। अथवा आवश्यकता पढ़ने पर अन्य सामाजिक संस्थानों की मदद भी लेंगे जिससे हमारी बहन की शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद हो।